Topic— Marking & Grading System.

प्रस्तावना —

हमारे राष्ट्र मे वर्तमान समय मे विभिन्न विषयो मे छात्रो की उपलब्धि मापने के लिए छात्रो द्वारा परीक्षा मे दिये गये उत्तरो के लिए परीक्षको द्वारा अंक प्रदान करने की विधि ही अधिक प्रचलित है जिसमे सामान्यत: 101 बिन्दु अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है. अर्थात् छात्रों को प्रथम द्वितीय या तृतीय श्रेणी (I, II, III) देने तथा अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन बिन्दुओ का प्रयोग किया जाता है। यह विभाजन बिन्दु न केवल वर्षों वरन् अनेक दशको तक बिना किसी संशोधन के चलते रहे है। इस प्रकार स्पष्ट करना आवश्यक है विभाजक बिन्दु बिना किसी तर्क संगत आधार के सदियो पूर्व निर्धारित किये गये है। अंकन (Marking) की इस परम्परा प्रणाली की आलोचना समय-समय पर शिक्षाविद, अध्यापकगण अभिभावकगण, शोधकर्त्ता तथा छात्रो द्वारा की जा रही है। अंकन विधि का जटिल समयपालक तथा त्रुटिपुर्ण होना इस आलोचना के प्रमुख कारण है। वास्तव मे अंकन इस परम्परागत विधि के दो प्रमुख अत्यधिक घातक कमियां है —

① परीक्षकं के निर्णय में थोड़ी सी चूक या अन्तर कभी कभी मात्र एक या दो अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है

उदाहरण के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में 59.75 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को द्वितीय श्रेणी तथा 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रो को प्रथम श्रेणी दे दी जाती है.

स्पष्ट है कि एक दो अंको के अन्तर से द्वितीय श्रेणी वाला छात्र प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी वाला छात्र द्वितीय श्रेणी पा सकता है। इसी प्रकार ~~जरा~~ जरा से अन्तर से छात्र उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है।

उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण करने तथा श्रेणी प्रदान करने की विधि उपयुक्त तथा वैध स्वीकार की जा सकती है) यदि अंकप्रदान त्रुटि रहित ढंग से करना सम्भव हो। अर्थात परीक्षकोद्वारा छात्रों को प्रदान किया जाने वाला अंक उनकी योग्यता का प्रतिनिधित्व करनेवाले होते परन्तु ऐसा नहीं होता।

तथ्यो से सिद्ध हुआ है कि वर्तमान अंकन प्रणाली में अनेक प्रकार की त्रुटिया है। सांख्यिकीय अनुसंधानो के अनुसार अंकप्रदान करने में 5%(प्रतिशत) की त्रुटि होनेपर लगभग 50 प्रतिशत होती है। इसके आलावा

परीक्षकों द्वारा प्रदान किये जाने वाला अंक छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि या अभिलाषित क्षमता आदि में से किसी एक या एक से अधिक का द्योतक होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षक द्वारा दिया गया अंकों में व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है।

— Nextday.

Topic – Marking v. Grading (Part Two.) IV.

वर्तमान अंकन विधि की दूसरी कमी विभिन्न विषयो को छात्रो की शैक्षिक उपलब्धियो के मूल्यांकन के मानदण्डो मे पर्याप्त विभिन्नताओ का होना है। दूसरे शब्दो में कहा जा सकता है. कुछ विषयो परीक्षको द्वारा कम अंक प्रदान किये जाते हैं। उदाहरण के लिए गणित या विज्ञान जैसे विषयो मे प्रायः शून्य से सौ अंक (0–100 अंक) पूर्ण प्रसार मे परीक्षको द्वारा प्रदान किये जाते है। जब कि भाषा या इतिहास जैसे विषयो मे प्रायः 20 से 70 प्रतिशत तक ही प्राप्तांक दिये जाते है। परीक्षको द्वारा प्राप्तांको के न्यूनतम व उच्चतम सीमाओ के प्रसार के निर्धारण में उनकी व्यक्तिगत पसन्द के साथ-साथ विषय की प्रकृति अवांछित भूमिका रखती है। ऐसी स्थिति मे विभिन्न विषयो के प्राप्तांको का योग करके छात्रो का योग्यताक्रम (Rank order) विभिन्न विषयो के प्राप्तांको के प्रसार मध्यमान (M) तथा मानक विचलन से पूरी तरह प्रभावित होता है। जैसे हिन्दी व गणित विषयो के प्राप्तांको को जोड़कर यदि सामूहिक योग्यता क्रम बनाया जाय तो गणित को हिन्दी की अपेक्षा–

दो गुना होने के कारण सम्भावना यही होगी। गणित योग्यता वाले छात्र ही सामूहिक योग्यता सूची योग्यता सूची में श्रेष्ठ क्रम प्राप्त करेंगे।

सारणी द्वारा स्पष्टीकरण —

	छात्र					
	रमेश	मनोज	रवि	सोनाली	मनीष	आरती
हिन्दी	30	39	48	57	66	75
गणित	95	77	59	41	23	5
कुल प्राप्तांक	125	116	107	98	89	80

इसप्रकार सारणी से स्पष्ट है कि रमेश तथा आरती दोनो ही एक विषय मे सर्वश्रेष्ठ है। तथा एक विषय मे सबसे कमजोर है। परन्तु उनके बावजूद भी कुल योग की दृष्टि से छः छात्रों मे रमेश तथा आरती सबसे कमजोर है। यह विसंगति दोनो विषयो के प्राप्तांको केप्रसार के अन्तर के कारण हो।

101 बिन्दु अंकन की इन दो प्रमुख कमियों के कारण शिक्षा विद विशेष कर परीक्षा सुधार कार्य मे शिक्षाशास्त्री व अनुसंधानकर्ता समय समय पर वर्तमान अंकन प्रणाली मे परिवर्तन करने का सुझाव देते रहे है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) तथा शिक्षा आयोग (1964-66) मे अंक के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव दिया। 1975 मे

NCERT के द्वारा भी ग्रेड के प्रणाली के प्रयोग की शिफारिश की गयी थी। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा प्रकाशित परीक्षा सुधार एक कार्ययोजना (Examination Reforms : A Plan of Action) में ग्रेड को स्वीकार किया। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली स्वीकार करने की बात की।

अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली अपनाने के प्रस्ताव पर मूल भूत मान्यता यह है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 101 समूहों में विभाजित करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है क्योंकि न तो अंक प्रदान करने का कोई पर्याप्त वैध, वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता तथा सार्थक आधार ही और नही परीक्षकों में इतनी क्षमता होती है क्योंकि वह छात्रों को 101 समूहों में त्रुटि रहित ढंग से बाट सके। परीक्षक अधिक से अधिक छात्रों को कुछ सीमित संख्या वाली गुणात्मक श्रेणियों 5, 7, तथा 9 आदि में सफलतापूर्वक विभाजित कर सके। 5 ही गुणात्मक श्रेणी को ही ग्रेड कहते हैं 5 है अक्षर A, B, C, D, E, F जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि अक्षरो से प्रदर्शित करते है इन्ही बिन्दुओ को ग्रेड कहते है। स्पष्ट ग्रेड प्रणाली वास्तव में छात्रों को कुछ गुणात्मक श्रेणियों में बांटते है।

परीक्षा सुधार क्षेत्र में अंको को की सम्पन्न काम करके अंकन की त्रुटियो को समाप्त करके उद्देश्य प्रणाली का सूत्रपात किया। अमेरिका आदि विकसित देशो से काफी देर से यह प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में भी कुछ प्रगतिशील शिक्षण संस्थाए माध्यमिक शिक्षा ~~परीक्षा~~ परीषदो, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओ ने ग्रेड प्रणाली को प्रयोग प्रारम्भ कर दिया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 1975-76) में 7 बिन्दु ग्रेड प्रणाली अपनाये जाने की सहमति प्रदान किया कुछ विद्वान 5 बिन्दु ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही।

पांच बिन्दु ग्रेड —

ग्रेड (Grade)	A	B	C	D	F
Grade Point	4	3	2	1	0
शाब्दिक अर्थ (Verbal)	विशिष्ट outstanding	उत्तम Above Average	औसत Average	निम्न Below Average	अनुत्तीर्ण Fail

सात बिन्दु ग्रेड

Grade	O	A	B	C	D	E	F
Grade Point	6	5	4	3	2	1	0
Verbal Meaning	विशिष्ट out standing	अतिउत्तम very good	उत्तम good	औसत Average	संतोषजनक satisfactory	निकृष्ट Poor	निकृष्टतम (very poor.

IIPage वैसे परीक्षको द्वारा सीधे सीधे ग्रेड प्रदान करना चाहिए।